



कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग जिला -महासमुन्द, (छ.ग.)
(दूरभाष एवं फ़ैक्स क्रमांक 07723796849, E-mail ID- dwcdmahasamund@gmail.com)

“विज्ञापन”

पत्र क्रमांक 315 / मबावि / सा.वि.(ICPS) / 2023-24

महासमुन्द, दिनांक 27 / 06 / 2023

छ.ग. राज्य बाल संरक्षण समिति, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक 1521/894/मबावि/एससीपीएस/2ए/23-24 रायपुर दिनांक 19.05.2023 के अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा संशोधित 2021 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए संचालित मिशन वात्सल्य (एकीकृत बाल संरक्षण योजना) की संवेदनशील प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए रिक्त पदों की संविदा भर्ती हेतु पात्र आवेदकों से दिनांक 13 / 07 / 2023 तक कार्यालयीन समय शाम 5:00 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुन्द में पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित है।
विवरण निम्नानुसार है :-

जिला बाल संरक्षण इकाई महासमुन्द के लिए :-

रिक्त पदों का नाम	संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख)	विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी	परामर्शदाता	सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर
एकमुश्त संविदा वेतन प्रतिमाह	27804/-	27804/-	18536/-	13240/-
पद संख्या व संवर्ग	01 (अनारक्षित)	01 (अनारक्षित)	01 (अनारक्षित)	01 (अनारक्षित)

शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह बरौडाबाजार महासमुन्द के लिए :-

रिक्त पदों का नाम	परामर्शदाता	परिवीक्षा अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी / केस वर्कर	हाउस फादर	पैरामेडिकल स्टॉफ	स्टोर कीपर सह लेखापाल	सहायक रसोईया	हाउस कीपर
एकमुश्त संविदा वेतन प्रतिमाह	23170/-	23170/-	14564/-	11916/-	18536/-	7944/-	7944/-
पद संख्या व संवर्ग	01 (अनारक्षित)	01 (अनारक्षित)	01 (अ.ज.जा.) 01 (अनारक्षित)	01 (अनारक्षित)	01 (अनारक्षित)	01 (अनारक्षित)	01 (अनारक्षित)

- उपरोक्त नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 का नियमन के तहत होगा।
- उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है अथवा अपरिहार्य कारणों से पद/पदों पर नियुक्ति स्थगित की जा सकती है तथा किसी प्रकार की सिफारिश करने वाले उम्मीदवार का आवेदन पत्र स्वयंमेव ही निरस्त माना जाएगा।
- विज्ञापन की विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुन्द के सूचना पटल पर एवं NIC महासमुन्द की वेबसाईट www.mahasamund.gov.in पर देखी जा सकेगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
महासमुन्द (छ.ग.)



कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग जिला –महासमुन्द, (छ.ग.)
(दूरभाष एवं फ़ैक्स क्रमांक 07723796849, E-mail ID- dwcdmahasamund@gmail.com)

पत्र क्रमांक...316.../मबावि/सा.वि.(ICPS)/2023-24

महासमुन्द, दिनांक 27/06/2023

मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई एवं शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह में कर्मचारियों की संविदा भर्ती के संबंध में विज्ञापन

छ.ग. राज्य बाल संरक्षण समिति, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक 1521/894/मबावि/एससीपीएस/2ए/23-24 रायपुर दिनांक 19.05.2023 के अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा संशोधित 2021 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए संचालित मिशन वात्सल्य (एकीकृत बाल संरक्षण योजना) की संवेदनशील प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए रिक्त पदों की संविदा भर्ती हेतु पात्र आवेदकों से 13/07/2023 तक रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :-

जिला बाल संरक्षण इकाई महासमुन्द

कार्यालय का नाम	संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख)	विधिक सह परीवीक्षा अधिकारी	परामर्शदाता	सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर
जिला बाल संरक्षण इकाई महासमुन्द	01	01	01	01
एकमुश्त संविदा वेतन	27804/-	27804/-	18536/-	13240/-
पद संख्या व संवर्ग	01 (अनारक्षित)	01 (अनारक्षित)	01 (अनारक्षित)	01 (अनारक्षित)

शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह बरौडाबाजार महासमुन्द

बाल देखरेख संस्था का नाम	परामर्शदाता	परीवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर	हाउस फादर	पैरामेडिकल स्टॉफ	स्टोर कीपर सह लेखापाल	सहायक रसोईया	हाउस कीपर
बाल सम्प्रेक्षण गृह महासमुन्द (बालक)	01	01	02	01	01	01	01
एकमुश्त संविदा वेतन	23170/-	23170/-	14564/-	11916/-	18536/-	7944/-	7944/-
पद संख्या व संवर्ग	01 (अनारक्षित)	01 (अनारक्षित)	01 (अनारक्षित) 01 (अ.ज.जा.)	01 (अनारक्षित)	01 (अनारक्षित)	01 (अनारक्षित)	01 (अनारक्षित)

उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है अथवा अपरिहार्य कारणों से पद/पदों पर नियुक्ति स्थगित की जा सकती है।

उपरोक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी :-

जिला बाल संरक्षण इकाई महासमुन्द

क्र०	पदनाम	पात्रता मापदंड
01	संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखभाल)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य/समाजशास्त्र/चाइल्ड डेवलपमेंट/ह्यूमन राइट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन/साइकोलॉजी/साइकियाट्री/लॉ/पब्लिक हेल्थ/कम्युनिटी रिसोर्स/मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य/समाजशास्त्र/बाल विकास/मानवाधिकार लोक प्रशासन/मनोविज्ञान/कानून/सार्वजनिक स्वास्थ्य/सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातक के साथ परियोजना निर्माण/कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण के क्षेत्र, कम्प्यूटर में प्रवीणता एवं कार्य संपादन में सक्षमता।

क्रमशः 02 पर

02	विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. महिला एवं बाल अधिकारों के क्षेत्र में सरकारी/गैर सरकारी संगठन/कानूनी मामलों के साथ काम करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव महिला एवं बाल अधिकार और सुरक्षा के मुद्दों की अच्छी समझ।
03	परामर्शदाता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/सार्वजनिक स्वास्थ्य/परामर्श में स्नातक। या काउंसलिंग एवं कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकारी/एनजीओं के साथ कम से कम 01 वर्ष का कार्य अनुभव। कम्प्यूटर में प्रवीणता।
04	सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	कम्प्यूटर में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष से 12वीं उत्तीर्ण। कार्य अनुभव उम्मीदवार के लिए वेटेज

शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह बरोंडाबाजार महासमुन्द

क्र०	पदनाम	पात्रता मापदंड
01	परामर्शदाता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/सार्वजनिक स्वास्थ्य/परामर्श में स्नातक। या काउंसलिंग एवं कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकारी/एनजीओं के साथ कम से कम 01 वर्ष का अनुभव। कम्प्यूटर में प्रवीणता।
02	परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य/समाजशास्त्र/सामाजिक विज्ञान में बीए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी। महिला एवं बाल अधिकारों के क्षेत्र में सरकारी/गैर सरकारी संगठन/कानूनी मामलों के साथ काम करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव। महिला एवं बाल अधिकार और सुरक्षा मुद्दों की अच्छी समझ। कार्य अनुभव उम्मीदवार के लिए वेटेज, कम्प्यूटर में प्रवीणता।
03	हाउस फादर	समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/समाज विज्ञान/विधि या समकक्ष सामाजिक विषयों में स्नातक। शासकीय/अर्द्धशासकीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों/शासन से अनुदान प्राप्त बाल देखरेख संस्थाओं एवं चाईल्ड लाईन, बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य/किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, के रूप में बच्चों की देखरेख/संरक्षण/पुनर्वास/बाल कल्याण के क्षेत्र में 02 वर्ष का कार्यानुभव।
04	पैरा मेडिकल स्टॉफ	ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू अथवा शासन द्वारा निर्धारित संस्थान से उपयुक्त अवधि का नर्सिंग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र। शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी चिकित्सालय में पैरा मेडिकल स्टॉफ के रूप में 02 वर्ष का कार्यानुभव।
05	स्टोर कीपर सह लेखापाल	वाणिज्य/अर्थशास्त्र अथवा समकक्ष विषय में स्नातक अथवा सी.ए./आइ.सी.डब्ल्यू.ए. इंटर कम्प्यूटर पर एम.एस.आफिस/टेली तथा कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान/चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म में लेखा एवं लेखा संधारण का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव/आर्टिकल क्लर्क के रूप में 03 वर्ष का कार्यानुभव।
06	सहायक रसोईया	पांचवी उत्तीर्ण किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी प्रतिष्ठित संस्थान में न्यूनतम 02 वर्ष का रसोईया के रूप में कार्यानुभव।
07	हाउस कीपर	पांचवी उत्तीर्ण किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी प्रतिष्ठित संस्थान में न्यूनतम 02 वर्ष का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यानुभव।

उपरोक्त पदों हेतु नियम व शर्त :-


- 01) संयुक्त सचिव भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/CW-II-22/6/2022-CW-II (e-99580) दिनांक 05 जुलाई 2022 के द्वारा जारी मिशन वात्सल्य दिशा निर्देश 01 अप्रैल 2022 से लागू किया गया है। अतएव उक्त समिति के माध्यम से भर्ती के सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कराया जा सकता है।
- 02) संविदा नियुक्ति 03 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा आगे बढ़ाने का निर्णय विभाग/संबंधित जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
- 03) संविदा नियुक्ति अवधि में योजना प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा। अतः संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। सेवा समाप्ति के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के पेंशन उपादान भत्ता मृत्यु लाभ इत्यादि की भी पात्रता नहीं होगा।
- 04) संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा के दौरान सामान्य परिस्थिति में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह के पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। विशेष परिस्थिति में आचरण संहिता के उल्लंघन पर बर्खास्त किया जा सकेगा।
- 05) निर्धारित आयु सीमा :- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी 2023 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छुट होगी अर्थात् 40 वर्ष आयु सीमा की छुट होगी। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छुट की पात्रता होगी। किन्तु सभी छुटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 06) आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 07) शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए।
- 08) आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किए जायेंगे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्व प्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए। आवेदन जमा होने के पश्चात बाद में पृथक से अन्य दस्तावेज जमा करना मान्य नहीं होगा।
- 09) आवेदन तिथि को अभ्यर्थी का जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- 10) अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी एवं स्व प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 11) आरक्षित श्रेणी के पदों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आवेदन मान्य किया जायेगा।
- 12) शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को आवेदन देने संबंधित जानकारी अपने नियोक्ता को देते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- 13) अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इसके संबंध में आवेदक को कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
- 14) चयन हेतु तैयारी की गई वरीयता सूची आगामी एक वर्ष के लिए वैध होगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार पद रिक्त होने की स्थिति में अगले क्रम के नामों पर बिचार किया जा सकेगा।

- 15) प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में आवेदित पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता एवं मोबाईल नंबर आवश्यक रूप से उल्लेखित होना चाहिए।
- 16) लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नहीं होगा।
- 17) आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रूपये का डाक टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करना होगा।
- 18) उपरोक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

पदनाम	चयन प्रक्रिया
01 संरक्षण अधिकारी- संस्थागत देखभाल 02 विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी 03 सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर 04 परामर्शदाता	01. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 50 अंक, 02. पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 05 अंक निर्धारित रहेंगे। अनुभव पर अधिकतम 25 अंक दिये जायेंगे। 03. लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/स्किल टेस्ट से संबंधित परीक्षा पर 25 अंक निर्धारित होंगे। 04. उत्कृष्ट राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के उपाधि धारक को चयन में वरीयता दी जायेगी।
05 परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/केस वर्कर	03. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 70 अंक, 04. पी.जी.डी.सी.ए. या अन्य अतिरिक्त व्यवसायिक योग्यता के लिए 10 अंक, 05. पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 05 अंक निर्धारित रहेंगे। अनुभव पर अधिकतम 20 अंक दिये जायेंगे। केवल परामर्शदाता अथवा बाल देखरेख एवं संरक्षण के कार्यानुभव पर ही अंक दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के अनुभव का लाभ नहीं दिया जायेगा।
06 हाउस फादर 07 पैरा मेडिकल स्टॉफ	01. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 75 अंक, 02. पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 05 अंक निर्धारित रहेंगे। अनुभव पर अधिकतम 25 अंक दिये जायेंगे।
08 स्टोर कीपर सह लेखापाल	01. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक, 02. पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 05 अंक निर्धारित रहेंगे। अनुभव पर अधिकतम 20 अंक दिये जायेंगे। 03. टेली सॉफ्टवेयर पर कार्यक्षमता/स्कील टेस्ट पर अधिकतम 20 अंक दिये जायेंगे।
09 सहायक रसोईया 10 हाउस कीपर	01. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 50 अंक, 02. पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 05 अंक निर्धारित रहेंगे। अनुभव पर अधिकतम 50 अंक दिये जायेंगे।

- 19) प्राप्त आवेदनों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। जिला कलेक्टर के समक्ष समाधान हेतु प्रस्तुत हुए बिना आवेदक विवाद को न्यायालय नहीं ले जा सकेंगे।
- 20) विज्ञापन की विस्तृत जानकारी व आवेदन प्रारूप जिला महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुन्द के सूचना पटल पर एवं जिला वेबसाईट www.mahasamund.gov.in पर देखी जा सकती है।
- 21) प्राप्त आवेदन पत्रों का स्कूटनी पश्चात पात्र अपात्र की सूची जारी की जायेगी। पात्र अभ्यर्थियों को स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध 1:10 के अनुपात में स्कील टेस्ट/लिखित परीक्षा/समूह चर्चा से संबंधित परीक्षा हेतु मेल अथवा एस.एम.एस से सूचना दी जायेगी। अतः सही मेल आईडी व मोबाईल नंबर का उल्लेख आवेदन पत्र में किया जावे।
- 22) आवेदक का आवेदन दिनांक 13/07/2023 को सायं 5:00 बजे तक "कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, महासमुन्द जिला महासमुन्द (छ.ग.) पिन-493445" को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 23) किसी प्रकार की सिफारिश करने वाले उम्मीदवार का आवेदन पत्र स्वयंमेव ही निरस्त माना जाएगा। कृपया किसी भी प्रकार की सिफारिश करन अपने आपको नियुक्ति के अवसरों से वंचित न करें। चयन समिति अपने विवेक के आधार पर ऐसे आवेदनों को चयन से वंचित कर सकती है।
- 24) उपरोक्त नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 का नियमन के तहत होगा।
- 25) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो :-
01. पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया जो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।
 02. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।
 03. जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो।
 04. जो किसी आपराधिक प्रकरण में सजायाप्ता हो।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


 जिला कार्यक्रम अधिकारी
 महिला एवं बाल विकास विभाग
 सह सचिव जिला बाल संरक्षण समिति
 जिला महासमुन्द (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी/
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जिला महासमुन्द, (छ.ग.)

स्वयं द्वारा पासपोर्ट
साईज फोटो पर
हस्ताक्षर किया जावे
जिसका आधा भाग फोटो
एवं आधा आवेदन पत्र में
होना चाहिए चरुपा करें।

01. आवेदित पद का नाम एवं संस्था का नाम (जिला बाल संरक्षण इकाई/शा. बाल संरक्षण गृह) :-
02. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-
- (अंग्रेजी में) :-
03. पिता/पति का नाम :-
04. स्थायी पता :-
05. पत्र व्यवहार का पता :-
06. जन्मतिथि (अंको में) :- मो.नं
- (शब्दों में) :-
07. दिनांक 01.01.2023 को आयु :- वर्ष माह दिन
08. लिंग पुरुष/महिला :-
09. जाति/वर्ग (अजा./अजजा./अपिव/सामान्य) :-
10. क्या आवेदक शास./अर्द्ध.शासकीय संस्था में सेवारत है? :-
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :-
12. यदि आप विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि एवं जीवित :- विवाह तिथि
- बच्चों की संख्या
13. शैक्षणिक योग्यता :- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्रप्तांक	प्रतिशत

14. अन्य योग्यता का विवरण :-

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न हॉ/नहीं) :-

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

16. आवेदक द्वारा अनिवार्य संलग्नों की सूची :-

1. जन्मतिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र।
2. 12वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र।
3. स्नातक की अंकसूची/प्रमाण पत्र।
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची। (पद अनुरूप आवश्यक होने पर संलग्न करें)
5. 5वीं एवं 8वीं की अंकसूची (पद अनुरूप संलग्न करें)
6. जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र।
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र। (पद अनुरूप आवश्यक होने पर संलग्न करें)
8. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।

17. अन्य संलग्नों का विवरण :-

01. 02.
03. 04.
05. 06.

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम

—:: घोषणा पत्र ::—

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक :-